

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी०एम०पी०सं० 367/2019

मंचूर देवी...

याचिकाकर्ता

बनाम

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के द्वारा, मैसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसका कार्यालय दरभंगा हाउस, थाना कोतवाली, जिला राँची में है।
2. निदेशक (पी), सीसीएल, साकिन एवं डाकघर दरभंगा हाउस, थाना कोतवाली, जिला-राँची
3. महाप्रबंधक (पी एंड आईआर), सीसीएल, डाकघर दरभंगा हाउस, थाना कोतवाली, जिला-राँची
4. मुख्य महाप्रबंधक (बीआरके-सिल), सीसीएल राँची, ग्राम+पोस्ट- सयाल 'डी', थाना पतरातु, जिला-हजारीबाग अब रामगढ़
5. कर्मचारी अधिकारी (पी एंड ए) बी एंड एस, बरका-सिल, सीसीएल निवासी- साकिन एवं पोस्ट सयाल 'डी', थाना पतरातु, जिला-हजारीबाग अब रामगढ़
6. परियोजना अधिकारी, भुरकुंडा कोलियरी, सीसीएल, ग्राम पोस्ट- भुरकुंडा, थाना- भुरकुंडा, जिला हजारीबाग, अब रामगढ़
7. प्रबंधक कार्मिक (टी), भुरकुंडा कोलियरी, सी. सी. एल., निवासी - साकिन एवे पोस्ट भुरकुंडा, थाना भुरकुंडा, जिला-हजारीबाग, अब रामगढ़।

..... विपक्षीगण

सी०एम०पी० संख्या-356/2019

कोरम: माननीय न्यायाधीश राजेश कुमार

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री एन. के. पी. सिन्हा, अधिवक्ता

विपक्षी दलों के लिए:

श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता

03/दिनांक:22/11/2019

वर्तमान याचिका डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3104/2014 को उसकी मूल फाइल में पुनः स्थापित करने के लिए दायर की गई है, जिसे पेश न होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

इस सीएमपी के लिए उचित कारण दिया गया है और इसे ध्यान में रखते हुए, डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 3104/2014 को इसकी मूल फाइल में बहाल किया जाए।

तदुसार, इस सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

(राजेश कुमार, न्याया0)

शाहिद/